मै0 उत्तम डिस्टिलरीज लिमिटेड, ग्राम–अहमदपुर ग्रांट, ब्लाक–बहादराबाद, तहसील एवं जिला–हरिद्वार द्वारा अनाज आधारित आसवानी इकाई की उत्पादन क्षमता 40 के0एल0डी0 से 160 के0एल0डी0 तथा सह ऊर्जा में 3.0 मेगावाट से 6.0 मेगावाट के क्षमता विस्तारीकरण हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (Prior Environment Clearance) के लिए दिनांक 07.03.2025 को आयोजित लोक सुनवाई की कार्यवाही का कार्यवृत।

मै0 उत्तम डिस्टिलरीज लिमिटेड, ग्राम–अहमदपुर ग्रांट, ब्लाक–बहादराबाद, तहसील एवं जिला–हरिद्वार द्वारा अनाज आधारित (Grain Based) आसवानी इकाई की उत्पादन क्षमता 40 के0एल0डी0 से 160 के0एल0डी0 तथा सह ऊर्जा 3.0 मेगावाट से 6.0 मेगावाट के क्षमता विस्तारीकरण हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई आयोजित किये जाने का अनुरोध ई0आई0ए0 (ड्राफ्ट) रिपोर्ट उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून में प्रस्तुत किया गया। उक्त क्षमता विस्तारीकरण का प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रख्यापित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई0आई0ए0) अधिसूचना 2006 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत आच्छादित है तथा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का प्रावधान है। उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमानुसार लोक सुनवाई की सूचना 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्रों यथा– ''टाइम्स ऑफ इंडिया'' एवं ''अमर उजाला'' में प्रकाशित की गयी थी। **(संलग्नक–01)।**

लोक सुनवाई जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार द्वारा नामित श्री लक्ष्मी राज चौहान, डिप्टी कलेक्टर, हरिद्वार की अध्यक्षता में दिनांक 07.02.2025 को प्रातः 11:00 बजे से मै0 उत्तम डिस्टिलरीज लिमिटेड, ग्राम–अहमदपुर ग्रांट, ब्लाक–बहादराबाद, तहसील एवं जिला–हरिद्वार में आयोजित की गयी। उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण की ओर से डा0 राजेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, रूड़की द्वारा प्रतिभाग किया गया। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार है **(संलग्नक–02)।**

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की द्वारा उपस्थित जन समुदाय को लोक सुनवाई के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रख्यापित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई0आई0ए0) अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के अनुसार आयोजित की जा रही है। मै0 उत्तम डिस्टिलरीज लिमिटेड की ओर से पर्यावरण परामर्शी डा0 मनोज गर्ग द्वारा उद्योग में प्रस्तावित विस्तारीकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतिकरण में अवगत कराया गया कि क्षमता विस्तारीकरण के अन्तर्गत लगभग रू0 10400 लाख का निवेश प्रस्तावित है जिसमें रू0 156 लाख पर्यावरणीय प्रबन्धन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित है। क्षमता विस्तारीकरण वर्तमान में उपलब्ध 9.6320 हेक्टेयर भूमि में प्रस्तावित है। अतः अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है। उपलब्ध भूमि का 36% भाग में हरित पट्टिका विकसित की जानी है। क्षमता विस्तारीकरण में 160 के0एल0डी0 ईथेनोल/ई0एन0ए0/आर0एस0 का उत्पादन प्रस्तावित है, जिस हेतु अतिरिक्त 306 टन प्रतिदिन कच्चा माल तथा 15 के0एल0डी0 जल की आवश्यकता होगी। 20 टन प्रति घण्टा क्षमता का ब्वायलर की स्थापना प्रस्तावित है जिसमें ईंधन के रूप में लगभग 192 टन प्रतिदिन बगास/अन्य बायोमास की आवश्यकता होगी। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई0एस0पी0 की स्थापना प्रस्तावित है। उत्पादन प्रक्रिया से जनित स्पैन्ट वॉश को Decenter, Multi Effect Evaporator (MEE)] Condensate Policing Unit के माध्यम से शुद्धिकृत किया जाना है। शुद्धिकृत उत्प्रवाह को शत्–प्रतिशत पुनः प्रयोग किया जाना है। प्रस्तावित क्षमता विस्तारीकरण हेतु परियोजना क्षेत्र में विभिन्न पर्यावरणीय घटकों जैसे वायु गुणवत्ता, ध्वनि स्तर, भू–जल की गुणवत्ता, सतही जल

की गुणवत्ता, मिट्टी की गुणवत्ता, वनस्पति एवं जीव–जन्तु तथा समाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण आदि का अध्ययन किया गया, जिसके आधार पर पर्यावरणीय प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु विभिन्न उपाय प्रस्तावित किये गये हैं।

प्रस्तुतिकरण के उपरान्त जन समुदाय से उद्योग के प्रस्तावित क्षमता विस्तारीकरण के सम्बन्ध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किये गये। आपत्तियां/सुझाव का विवरण निम्नानुसार है:–

1. **श्री विरेन्द्र कौर, ग्राम प्रधान,** ग्राम पंचायत अहमदपुर ग्रान्ट द्वारा ग्राम वासियों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। लिखित प्रत्यावेदन में उद्योग से निकलने वाली दुर्गन्ध, तेज आवाज एवं बगास उडने से हो रही समस्याओं के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। प्रत्यावेदन में उद्योग द्वारा गन्दे पानी को जमीन के अन्दर डालने से गाँव का पीने योग्य पानी के प्रदूषित होने के सम्बन्ध में बताया गया तथा विस्तारीकरण पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया। प्रत्यावेदन की प्रति संलग्न है।
2. **श्री त्रिवेन्द्र सैनी, ग्राम बहादरपुर सैनी** द्वारा उद्योग से निकलने वाले वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण की समस्या के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। श्री सैनी द्वारा उद्योग के विस्तारीकरण से पूर्व प्रदूषण की समस्या का समाधान की मांग की गयी।
3. **श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्राम अहमदपुर** द्वारा अवगत कराया गया कि उनका घर 500 मी0 की परिधि में है। उद्योग से बगास उडने, दुर्गन्ध आने तथा तेज आवाज की समस्या रहती है। उद्योग के विस्तारीकरण से प्रदूषण की समस्या बढेगी।
4. **श्री मुकेश मिश्रा, निवासी वेद सिटी कालोनी** द्वारा धूल/मिट्टी की समस्या के सम्बन्ध में अवगत करया गया तथा उद्योग में आने जाने वाले वाहनों के कारण आवागमन की समस्या के निराकरण की मांग की गयी।
5. **श्री बलबीर सिंह रावत, निवासी वेद सिटी कालोनी** द्वारा उद्योग से जनित दुर्गन्ध की समस्या, धूल मिट्टी की समस्या तथा वायु प्रदूषण की समस्या के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। श्री रावत द्वारा सड़क में वाहनों के खड़े होने से आवगमन की समस्या के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया।
6. **श्री राजेन्द्र गिरी, ग्राम–दौलतपुर** द्वारा मांग की गयी कि विस्तारीकरण के अन्तर्गत स्थानीय लोगो को रोजगार में प्राथमिकता दी जाये तथा उद्योग से जनित प्रदूषण के रोकने के उपाय सुनिश्चित की जाये।
7. **सुश्री कुलवन्त कौर, निवासी अहमदपुर ग्रान्ट** द्वारा उद्योग से निकलने वाले धुल/मिट्टी की समस्या के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। सुश्री कौर द्वारा आशंका व्यक्त की गई कि उद्योग के क्षमता विस्तारीकरण से प्रदूषण की समस्या और बढ़ जायेगी।
8. **सुश्री सुदामा कौर, निवासी अहमदपुर ग्रान्ट** द्वारा उद्योग से निकलने वाले राख, बगास की समस्या के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। उद्योग के क्षमता विस्तारीकरण से प्रदूषण की समस्या और बढ़ जायेगी।
9. **सुश्री बलजीत कौर, निवासी अहमदपुर ग्रान्ट** द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग से निकलने वाले राख/ध्वनी/बगास की समस्या के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। उद्योग के क्षमता विस्तारीकरण से प्रदूषण की समस्या और बढ़ जायेगी।
10. **श्री अमनदीप कौर, निवासी अहमदपुर ग्रान्ट** द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग से धूल/बगास की समस्या रहती है। उद्योग के विस्तारीकरण से पहले प्रदूषण की समस्याओं का निदान किया जाये।
11. **श्री जयप्रकाश, निवासी वेद सिटी कालोनी,** द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग से तेज आवाज के कारण ध्वनि प्रदूषण की समस्या रहती है। रास्ते में ट्रक आदि की पार्किंग से

आवागमन में समस्या रहती है। समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

12. **श्री जगदीश सिंह, निवासी वेद सिटी कालोनी,** द्वारा उद्योग से निकलने वाली तेज ध्वनि, चिमनी से उड़ने वाली राख के कारण होने वाले वायु प्रदूषण तथा रास्ते में वाहन खड़े होने से आवागमन की समस्या के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा अपेक्षा की गयी कि समस्याओं का समाधान तुरन्त किया जाये।
13. **श्री सुख चैन सिंह, निवासी अहमदपुर ग्रान्ट** द्वारा उद्योग से उड़ने वाली बगास के कारण वायु प्रदूषण की समस्या के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। श्री सुख चैन सिंह द्वारा घरों में एकत्र बगास/राख/धूल की फोटोग्राफ भी दिखायी गयी। श्री सिंह द्वारा मांग की गयी कि प्रदूषण की समस्या के रोकथाम की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाये।
14. **श्री विरेन्द्र कुमार, निवासी खेड़ा जट** द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग के संचालन से स्थानीय लोगों को वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की समस्या है। श्री विरेन्द्र कुमार द्वारा द्वारा उद्योग के क्षमता विस्तारीकरण का समर्थन करते हुए उद्योग प्रबंधन से प्रदूषण की समस्याओं का समाधान किये जाने तथा उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग की गयी।
15. **श्री बलविंदर सिंह, निवासी खेड़ा जट** द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग के संचालन से स्थानीय लोगों को प्रदूषण की समस्या है। श्री बलविंदर सिंह द्वारा द्वारा उद्योग के क्षमता विस्तारीकरण का समर्थन करते हुए उद्योग प्रबंधन से प्रदूषण की समस्याओं का निराकरण करने तथा उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग की गयी।
16. **श्री पूरन सिंह प्रजापति, निवासी अहमदपुर ग्रान्ट** द्वारा मांग की गयी कि उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जाये।
17. **सुश्री प्रकाश कौर, निवासी अहमदपुर ग्रान्ट** द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग से प्रदूषण कि समस्या रहती है। रात के समय अत्याधिक तेज ध्वनि से समस्या अधिक होती है। सुश्री प्रकाश कौर द्वारा विस्तारीकरण से पहले समस्याओं का समाधान की मांग की गयी।
18. **श्री पवन सिंह, निवासी मोहम्मदपुर जट** द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग के संचालन में प्रदूषण की समस्याऐं हैं जिनका निराकरण उद्योग प्रबन्धन द्वारा किया जाना आवश्यक है। उद्योग की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होगें। श्री सिंह द्वारा सुझाव दिया गया कि समस्याओं के समाधान हेतु उद्योग प्रबन्धन द्वारा स्थानीय लोगों से वार्ता कि जानी चाहिए। श्री सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग से जनित समस्याओं का समाधान न होने पर विरोध किया जायेगा।

लोक सुनवाई प्रकिया के संचालन के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रूड़की द्वारा जन सामान्य द्वारा रखे गये मुख्य बिन्दुओं को जन समुदाय के समक्ष रखा गया। तदोपरान्त मै0 उत्तम डिस्टलरीज लि0 के कार्यकारी निदेशक श्री एस0एल0 शर्मा द्वारा जन समुदाय द्वारा रखे गये मुख्य बिन्दुओं के उद्योग की ओर से निम्नलिखित् बिन्दुओं पर प्रतिबद्धता ज्ञापित की गयी।

1. श्री शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग में बगास के भण्डारण हेतु कवर्ड शेड का निर्माण प्रारम्भ कर लिया गया है, जिससे बगास उड़ने को नियंत्रित किया जा सकेगा।
2. वाहनों के सड़क में पार्किंग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि उद्योग परिसर में पार्किंग यार्ड का निर्माण किया जा रहा है। सभी वाहन उक्त यार्ड में ही पार्क किये जायेगें।
3. ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय प्रारम्भ कर दिये गये हैं। शीघ्र ही समस्या का पूर्ण समाधान किया जायेगा।

4. उद्योग में 70%–80% स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। तकनीकि रूप से कुशल व्यक्तियों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी।
5. श्री शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग द्वारा एम0एस0पी0 दरों पर मक्का की खरीद की जायेगी।
6. श्री शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग में शीघ्र ही एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जायेगी जिसका प्रयोग स्थानीय लोग भी कर सकेगें।

लोकसुनवाई के अन्त में डिप्टी कलेक्टर, हरिद्वार द्वारा उद्योग प्रबन्धन से अपेक्षा की गयी कि उद्योग से जनित समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित् की जाये। उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाये। वाहनों की पार्किंग यथा स्थान पर सुनिश्चित् की जाये ताकि आवागमन में समस्या उत्पन्न न होवें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा जन समुदाय को अवगत कराया गया कि जन सुनवाई में उनके द्वारा रखे गये सुझाव/आपत्तियों को संकलित किया गया है जिसे विडियोग्राफी, फोटोग्राफ सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन पर अग्रेतर विचार हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित् की जायेगी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के द्वारा धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

संलग्नकः–

1. **लिखित प्रत्यावेदन।**
2. **फोटोग्राफी –03 सैट।**
3. **विडियो रिकाडिंग –03 पैनड्राईव।**
4. **उपस्थिति पंजिका –03 प्रतियां।**

(डा0 राजेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रूड़की, जिला–हरिद्वार।

(लक्ष्मी राज चौहान)
डिप्टी कलेक्टर,
हरिद्वार।

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।